निविदा प्रपत्र कमांक.

संचालनालय,भोपाल,गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 1,शिवाजी नगर भोपाल

कार्यालय हेतु मासिक (पूर्णकालिक) दर पर प्रायवेट वाहन (टेक्सी कोटे) से उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र एवं शर्ते वर्ष 2019–20

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि.
02,अगस्त,2019
समयःदोपहर–2:30 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि.02,अगस्त,2019
समयःदोपहर–3:30 बजे

निविदा प्रपत्र खोलने का स्थान–संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01 शिवाजी नगर,भोपाल

निविदा प्रपत्र शुल्क रु.250.00

विवरण तालिका
निविदा की शर्ते एवं प्रकिया

भाग–1–कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

स.क.	विषय	पृष्ठ क.
01	कार्यात्मक आवश्यकताएं	01
02	तकनीकी आवश्यकताएं	01–02

भाग 2–सामान्य निर्देश एवं वित्तीय विनिर्देश

स.क.	विषय	पृष्ठ क.
03	निविदा प्रकिया	
	3.1 निविदा प्रपत्र का मूल्य	02
	3.2 निविदा दस्तावेज	02
	3.3 निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्थान एवं समय	03
	3.4 निविदा प्रकिया का निरसन	03
	3.5 विलंब से प्राप्त निविदाएं	03
	3.6 निविदाओं का खोला जाना	03
	3.7 निविदाओ का मूल्यांकन	03
	3.8 निविदा संलग्न करने हेतु दस्तावेजो का विवरण	03
04	निविदाकारों की अर्हताएं	04
	4.1 अर्हताएं	04
	4.2 तकनीकी प्रस्ताव	04
	4.3 वित्तीय प्रस्ताव	04
	4.4 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	04
	4.5 निविदा का प्रस्तुतीकरण	04
	4.6 निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि	04
	4.7 निविदा मे संशोधन	05
	4.8 प्रस्ताव की भाषा	05
	4.9 दरें	05
	4.10 अपात्रताएं	05
	4.11 संशोधन एवं निविदा वापस लेना	05
	4.12 शर्तो की ग्राहृता की संतुष्टि	05
05	अनुबंध का निष्पादन	05
	5.1 निविदा की प्रतिभूति (Earnestmoney deposit)	05
	5.1 निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)	06
	5.3 अनुबंध मे हस्ताक्षर	06
	5.4 सेवाएं एवं वारंटी	06–07
	5.5 पेनाल्टी	07
	5.6 अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन	07
06	भुगतान	08
07	विवाद का निराकरण	08

प्रपत्रों का विवरण

स.क्र.	विषय	प्रपत्र
1	सूचना पत्र	प्रपत्र– अ–1
2	घोषणा पत्र	प्रपत्र– अ–2
3	सुरक्षा निधि/निविदा की प्रतिभूति (Earnestmoney deposit)	प्रपत्र– अ–3
4	निविदा की शर्ते तथा नियम से सहमति	प्रपत्र– अ–4
5	निविदाकार व्दारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी	प्रपत्र– अ–5
6	अनुबंध का प्रारुप	प्रपत्र– अ–6
7	वित्तीय प्रस्ताव प्राइस बिड	प्रपत्र– ब

संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर भोपाल

क्रमांक/वाहन/प्रा./गैरापु/2019, भोपाल दिनांक

निविदा की शर्तें

भाग-1 कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

01. कार्यात्मक आवश्यकताएं:-

संचालनालय.भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल के आधीन आवश्यकता अनुसार किराए के 01 वाहन मासिक (पूर्णकालिक) उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2019-20 एक वर्ष के लिये निविदाऐ सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढोत्री की जा सकती हैं। वाहन की दर 1000 किमी.(पेट्रोल/डीजल) चालक सहित मासिक रनिंग के आधार पर होगी।

02 तकनीकी आवश्यकताएं:–

2.1 वाहन 01वर्ष से अधिक पुराने स्वीकार नही किये जावेगे। निविदाकार व्दारा प्रदाय किये जाने वाले वाहन नये तथा अच्छी स्थिति मे होना चाहिये।

2.2 वाहन चालक की डयूटी समय–सीमा कार्यालयीन आवश्यकतानुसार होगी।

2.3 वाहन चालक का मासिक वेतन ट्रेवल्स एजेन्सी व्दारा भुगतान किया जावेगा।

2.4 वाहन की मरम्मत का समस्त व्यय ट्रेवल्स एजेन्सी व्दारा वहन किया जावेगा।

2.5 समय–समय पर वाहनों पर होने वाली सर्विसिग की जिम्मेदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी। सर्विसिंग अवधि के 2–3 दिन पूर्व सर्विसिंग कराने हेतु संबंधित अधिकारी को अवगत कराना आवश्यक होगा व सर्विसिंग अवधि में एजेन्सी व्दारा अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।

2.6 वाहन की ईधन व्यवस्था संबंधित एजेन्सी की होगी।

2.7 ब्रेक डाउन/वाहन मरम्मत/वाहन चालक की अनुपस्थिति में उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी। वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने की स्थिति में विभाग व्दारा मासिक देयक राशि से अनुपालिक रूप में आवश्यक कटौत्रा किया जावेगा।

2.8 वाहन के रोड टेक्स,टोल टेक्स,इन्स्योरेंस एवं अन्य आवश्यक खर्चो के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

2.9 आवश्यकतानुसार वाहन चालक को वाहन समय अवधि से अधिक एवं जिले के बाहर भी चलाना पड सकता है। इस संबंध मे जिसे वाहन आवंटित है उसके निर्देश का पालन ट्रेवल्स एजेंसी/वाहन चालक को करना होगा।

2.10 वाहन के साथ लॉग बुक संधारित करना अनिवार्य है।

निरन्तर–2

2.11. संबंधित ट्रेवल्स एजेन्सी के नाम से कम से कम 10 वाहन होना आवश्यक है इन वाहनो का आर.टी.ओ. कार्यालय मे ट्रेवल्स एजेंसी के नाम से टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। पंजीकृत वाहन के रजीस्ट्रेशन/वीमा की सूची का गोसवारा बना कर वाहन के क्रम संख्या दर्शाते हुऐ देना होगा।

2.12. वाहन आवंटिति अधिकारी (जिसे वाहन आवंटित है) से वाहन मालिक एजेंसी या वाहन चालक के संबंध मे यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस वाहन आवंटन को तत्काल निरस्त कर टेन्डर मे प्राप्त हुए न्यूनतम दर पर ही वाहन किसी अन्य एजेंसी से अनुबंध कर विभाग संबंधित अधिकारी को वाहन उपलब्ध काराने की तत्काल कार्यवाही करेगा। वेंडर से इस संबंध मे कोई पूछताछ नही की जावेगी और उसकी कोई दलील मान्य नही होगी।

भाग-2-सामान्य निर्देश एवं वित्तीय विनिर्देश

3.निविदा प्रक्रिया:-

3.1 निविदा प्रपत्र का मूल्य-निविदा फार्म शर्ते एवं प्रपत्र की प्रति अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय की वित्त शाखा से विज्ञसि प्रकाशन की दिनांक 02.08.2019 के दोपहर-2:30 बजे तक रू.250 (रू.दो सौ पचास मात्र) नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा फार्म क्रय शुल्क वापिस नही किया जावेगा। निविदा फॉर्म अहस्तांतरणीय हैं।

3.2 निविदा दस्तावेज-निविदाकार को निविदा दो लिफाफों "ए" एवं "बी" में बन्द कर प्रस्तुत करना होगा।

(अ) लिफाफा "ए" में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रखे जायेगे:-

1.प्रपत्र-अ-1 सूचना पत्र
2.प्रपत्र-अ-2 घोषणा पत्र
3.प्रपत्र-अ-3 सुरक्षा निधि
4.प्रपत्र-अ-4 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र
5.प्रपत्र-अ-5 निविदाकार व्दारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी सूचना पत्र
6.प्रपत्र-अ-6 अनुबंध का प्रारूप
7.प्रपत्र-अ-7 आपके ऐजेंसी के नाम वाहनो कि सूची का गोसवारा।

(ब) लिफाफा- "बी" में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रखे जायेगे:-

1.प्रपत्र "ब" वित्तीय निविदा प्राईज बिड

निरन्तर-3

3.3 **निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु स्थान एवं समय–** निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन तिथि से **दिनांक-02,अगस्त,2019** के दोपहर 1:30 बजे तक कार्यलयीन कार्य दिवसों में निर्धारित शुल्क जमा कर संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01 शिवाजी नगर भोपाल से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं उसी दिनांक को दोपहर 2:30 बजे तक टेण्डर बाक्स मे जमा किये जा सकते हैं।प्राप्त निविदाए उसी दिन सायः 3:30 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, 01,शिवाजी नगर भोपाल में खोली जायेगी। समस्त निविदाएं कार्यालय में रखे सीलबंद बॉक्स में ही डाली जायेगी अन्य किसी स्थान अथवा व्यक्ति को दी गई निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।

3.4 **निविदा प्रकिया का निरसन–**

संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल को बिना कोई कारण बताये निविदा प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रो की राशि वापस नही की जावेगी।

3.5 **विलंब से प्राप्त निविदाए–**

निविदा की अंतिम **दिनांक-02,अगस्त-2019 को** दोपहर 2:30 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी। डाक से विलंब से प्राप्त निविदाओं की जिम्मेदारी संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल की नही होगी।

3.6 **निविदाओं का खोला जाना–**

उपरोक्तानुसार नियत दिनांक वा समय तक प्राप्त निविदायें **दिनांक-02,अगस्त,2019**को अपरान्हः3:30 बजे संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर, भोपाल में गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। यदि उक्त निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। बिना सील बंद लिफाफे में प्राप्त एवं कटी फटी निविदाएं बिना विचार के ही निरस्त कर दी जायेगी। विधिवत प्राप्त निविदाओ का पहले लिफाफा "ए" खुलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित रह सकते है।

3.7 **निविदाओं का मूल्यांकन–**

निविदाकारों से प्राप्त लिफाफा "ए" में संलग्न दस्तावेजो का संचालनालय ,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल मे गठित समिति व्दारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारो के प्रस्ताव निरस्त करने का अधिकार उक्त समिति को होगा तथा उक्त मे योग्य पाये गये निविदाकारो का लिफाफा "बी"खोला जायेगा।

3.8 **निविदा संलग्न करने हेतु दस्तावेजो का विवरण–**

निविदा प्रपत्र जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जो स्वयं सत्यापित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. संस्था का पंजीयन कमांक तथा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
2. ट्रेवल्स एजेन्सी/वाहन का आर.टी.ओ.में टेक्सी कोटे में रजिस्ट्रर्ड होने का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. वाहन चालक के वैद्य लायसेंस की छाया प्रति एवं पी. एफ. कटौत्रें की छाया प्रति।
4. जी.एस.टी प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
5. आयकर के स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर की प्रति)
6. वाहनों का स्वामित्व संबंधी प्रमाण–पत्र/अनुबंध/पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

निरन्तर–4

04 निविदाकारो की अर्हताएं–

4.1 निविदाकार व्दारा प्रस्तुत निविदा के वैद्य होने के लिये निविदा के साथ निम्न दस्तावेजो का संलग्न होना अनिवार्य है:–

1. विगत दो वर्षो में सफलतापूर्वक किये गये कार्यो (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की संबंधित शासकीय विभाग,निगम,मंडल के प्रमाण–पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियॉ।
2. निविदाकर्ता को विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगी।
3. निविदाकर्ता का यदि इस कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी से कोई संबंध हो तो उसका विवरण दें।
4. निविदाकर्ता व्दारा पिछले वर्ष जमा किये गये जी.एस.टी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4.2 तकनीकी प्रस्ताव–

1. वाहन चालको का मानसिक एवं शारीरिक स्तर समान्य स्तर का होना चाहिए।
2. वाहन चालको का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र,चरित्र प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र वांछित होगा।
3. वाहन चालको का पुलिस सत्यापन निविदाकर्ता को स्वयं करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकर्ता को निविदा आवेदन करते समय वाहन चालको की सूची देना अनिवार्य होगा एवं निविदाकार को अपनी तरफ से वाहन चालको को निर्धारित की गई स्वच्छ वर्दी पहनना होगी इसके लिये कार्यालय के व्दारा कोई भी राशि पृथक से देय नहीं होगी।

4.3 वित्तीय प्रस्ताव–

निविदाकर्ता व्दारा निविदा में घोषित राशि में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी टेक्स सम्मलित होगें साथ ही निविदा कार्य के संपादन करने वाले सभी कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर,लेबर,रजिस्ट्रेशन शुल्क भविष्य निधि (पी.एफ.) ,एवं अन्य टेक्सेज इत्यादि सम्मिलित होगें। इसका कोई भी भुगतान अलग से इस कार्यालय व्दारा देय नहीं होगा।

4.4 हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा–

निविदादाता को निविदा की शर्तो के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रो के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा।

4.5 निविदा का प्रस्तुतीकरण–

निविदा प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में सील बंद बाक्स रखा होगा जिसमें निविदा का विषय स्पष्ट अंकित होगा। निविदा के दोनों लिफाफों के ऊपर स्पष्ट रुप से **<u>किराये के वाहन हेतु निविदा</u>** एवं लिफाफा **"ए"** अथवा **"बी"** लिखा होना चाहिये। उपरोक्त दोनों लिफाफे उस बॉक्स के अंदर डालना होगा। असुविधा की स्थिति मे सहायक संचालक,वित्त,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास से संपर्क किया जा सकता है।

4.6 निविदा के प्रस्ताव के वैद्यता की अवधि–

अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। एक वर्ष पश्चात् यदि सफलतापूर्वक कार्य अनुरुप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि दोनों पक्षों की सहमति से आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम दो (2) वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।

निरन्तर–5

4.7 निविदा मे संशोधन–

एक बार निविदा कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जायेगा एवं निविदा फार्म की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई निविदा प्राप्त नही की जा सकेगी।

4.8 प्रस्ताव की भाषा–

प्रस्ताव की भाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होना चाहिए। प्रस्ताव सुस्पष्ट एवं आसानी से ग्राह्य होना चाहिये। प्रस्ताव में कांट–छांट नहीं होना चाहिए। तकनीकी प्रस्ताव में प्रत्येक कांट–छांट पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना चाहिए। वित्तिय प्रस्ताव मे किसी भी प्रकार की कांट–छांट मान्य नहीं होगी।

4.9 दरें–

दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।

4.10 अपात्रताएं–

निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार स्वतःअपात्र माना जायेगा।

4.11 संशोधन एवं निविदा वापस लेना –

निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। निविदा वापस लेने हेतु निविदा खोलने की दिनांक को निविदाकार संचालक,भोपाल,गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल को लिखित आवेदन देकर निविदा प्रकिया से अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में निविदाकार के दोनो लिफाफे मूलतःवापस कर दिये जायेगें।

4.12 शर्तो के ग्राह्यता की संतुष्टि–

जिस निविदा कर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसके संबंध मे यह भी माना जायेगा की उसमे उक्त सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ ली एवं समझ ली है। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार्य हैं तथा उन्ही शर्तो के अंतर्गत उसने निविदा हेतु निविदा प्रस्तुत की है।

05 अनुबंध का निष्पादन–

5.1 निविदा की प्रतिभूति (Earnestmoney deposit)–

निविदाकार को निविदा के समय प्रतिभूति **(Earnestmoney deposit)** 01 वाहन के लिये राशि रु.7000/-(**रू.सात हजार मात्र**) संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एंव पुनर्वास,भोपाल के नाम से स्टेट बैंक अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद,बैकर्स चैक अथवा बैंक गारंटी के रुप मे जमा करनी होगा।निविदा की प्रतिभूति,निविदा की अंतिम वैधता तिथि के बाद पैतालीस दिन की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक हैं। असफल निविदाकर्ताओं की निविदा की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जावेगी,परन्तु द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की धरोहर राशि सफल निविदाकार से अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद वापस की जावेगी। निविदा स्वीकृत की सूचना के 05 दिवस के भीतर अनुबंध नही किये जाने की दशा में निविदा प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

निरन्तर–6

5.2 निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)–

सफल निविदाकार व्दारा प्रस्तावित दरों के वार्षिक राशि के 05 प्रतिशत प्रतिवाहन परफारमेंस सिक्यूरिटी (Performance Guarantee) स्टेट बैंक आफ इंडियां अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक से एफ.डी.आर.के रुप मे एक वर्ष के लिये संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर भोपाल के नाम जमा करनी होगी। परफारमेंस सिक्यूरिटी सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति पर निविदाकार को वापस कर दिया जायेगा। निर्धारित परफारमेंस सिक्यूरिटी जमा नही करने की स्थिति मे अनुबंध नही किया जावेगा एवं निविदा के समय प्रस्तुत प्रतिभूति **(Earnestmoney deposit)** राशि राजसात कर ली जावेगी।

5.3 अनुबंध में हस्ताक्षर–

निविदाकर्ता की निविदा विभागीय समिति व्दारा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर रुपये,1000/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निविदा स्वीकृति से 05 दिवस के अंदर करना होगा। अनुबंध प्रपत्र पर दोनो पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा। निविदाकर्ता के व्दारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

5.4 सेंवाएं एवं वारंटी–

कार्य स्थल पर निविदाकर्ता तथा उसके वाहन चालक शराब अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नही करेंगें तथा उनका व्यवहार अधिकारी एवं कर्मचारीयों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी,जो आर्थिक शास्ति संबंधित कर्मचारी को हटाने विषयक हो सकेगी।

5.4–1 सामान्यतःआवश्यकता होने के 12 घंटे पूर्व वाहन के प्रदाय हेतु रिक्वीजीशन निविदाकार को भेजा जावेगा,जिसका पालन निविदाकार को करना होगा। उपलब्ध कराई जाने वाली वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

5.4–2 यदि निविदाकार अनुबंध अवधि में समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है तथा संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल व्दारा बाजार से वाहन प्राप्त किया जाता है तो संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल को इस प्रकार होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार से की जा सकेगी। निविदाकार के साथ संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल के अनुबंध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगा। यदि अनुबंध की अवधि में निविदा का कार्य उत्कृष्ट रहा तो अनुबंध की अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।

5.4–3 वाहन चालक निविदाकार का व्यक्ति होगा जिसका किसी भी प्रकार का व्यय संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल व्दारा वहन नही किया जावेगा। वाहन चालक किसी ऐसे नशे का अदि नही होना चाहिये जिसे वाहन चालक के लिये किसी प्रकार से प्रतिबंधित किया गया हो। वाहन चालक का व्यवहार विनम्र तथा शालीन होना चाहिए। चालक के पास वैद्य लायसेंस मूल रुप से रखा जाना अनिवार्य होगा।

निरन्तर–7

5.4–4 प्रदाय किये वाहन के संपूर्ण अभिलेख हमेशा वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा ताकि आर.टी.ओ.निरीक्षण / पुलिस निरीक्षण में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

5.4–5 प्रवास की दशा मे टोल टेक्स का भुगतान निविदाकार करेंगा,जिसकी प्रतिपूर्ति प्रमाण (रसीद) प्रस्तुत करने पर विभाग व्दारा की जा सकेगी।

5.4–6 वाहन प्रदान करते समय ईधन आयल फुलटैंक कर भेजा जाना अनिवार्य होगा।

5.4–7 वाहन के साथ पंजीयन बीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज मूल रुप से होना अनिवार्य होगा। जिन्हे सक्षम अधिकारी व्दारा मॉगे जाने पर प्रस्तुत करने की जबाबदारी वाहन के साथ गये चालक की होगी। चालक व्दारा किया गया कोई व्यवहार निविदाकार के व्दारा किया गया मान्य होगा। यदि डयूटी के समय वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका संपूर्ण दायित्व निविदाकार तथा वाहन चालक पर होगा। संचालनालय इसके लिये किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

5.4–8 डयूटी के समय वाहन में किसी प्रकार की खराबी उत्पन्न होने पर निविदाकार को तत्काल अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।

5.4–9 वाहन व्दारा सौपी गयी एवं संपादित की गई डयूटी का रिकार्ड वाहन चालक को डयूटी के दौरान अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

5.5 पेनॉल्टी–

यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन सहित उपस्थित नही होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है,जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी व्दारा की जाती है तो उस मॉह के देयक से अनुपातिक रूप से राशि निविदाकार के देयक से काट ली जायेगी।

5.6 अनुबंध की शर्तो का उल्लघन–

निविदाकर्ता का तथा उनके वाहन चालको का व्यवहार आंवटिति अधिकारियों से संतोषप्रद न होने पर शिकायत प्राप्त होने पर तथा किसी भी प्रकार की शर्तो के उल्लघंन की शिकायत पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड एवं अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जवेगी। इसका पूर्ण अधिकार संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल को होगा साथ ही निष्पादन प्रतिभूति की पूरी अथवा आंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।

निरन्तर–8

06 भुगतान

6.1 अनुबंधकर्ता व्दारा मॉह की समाप्ति के उपरान्त आगामी मॉह की 05 तारीख तक किराये पर लिये गये वाहन की संख्या के मान से देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय व्दारा परीक्षण उपरान्त इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक अकाउंट में किया जायेगा।

07 विवाद का निराकारण–

किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचार की स्थिति में तथा वाहन उपयोगकर्ता की ओर से प्राप्त शिकायत पर संचालक व्दारा निविदा निरस्त कर दी जावेगी। न्यायालयीन परिस्थितियॉ उद्‌भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

संचालक व्दारा अनुमोदित।

सहायक संचालक,
गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल

प्रपत्र–अ–1

//सूचना पत्र//

(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

प्रति,

संचालक,
भोपाल,गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,
01,शिवाजी नगर,भोपाल

विषयः–संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल कार्यालय अंतर्गत मासिक (पूर्णकालिक) दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रायवेट वाहन (आर.टी.ओ. कार्यालय मे पंजीकृत) टेक्सी कोटे की ठेके पर लेने बाबत्।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र...में प्रकाशन के व्दारा ज्ञात हुआ है कि संचालनालय भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल के कार्यालय हेतु मासिक (पूर्णकालिक) दर पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है,इस हेतु मेरे व्दारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में गोसवारा के साथ जमा किए जा रहे हैं:–

1. ट्रेवल एजेंसी/वाहन का टेक्सी कोटे मे आर.टी.ओ. मे रजिस्टर्ड होने बाबत् प्रमाण पत्र की प्रति। रजीस्ट्रेशन/बीमा सरल क्रमांक से तक अलग–अलग वाहनो की। आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नम्बर) की प्रति।
2. जी.एस.टी प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
3. नगर निगम से जारी गुमाश्ता।
4. ई.एम.डी.की राशि रु................/–एफ.डी./डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र...................... ......दिनांक...................

नोटः- संलग्न दस्तावेजों के गोसवारा बनाकर दस्तावेज का नाम पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत किया जाना हैं।

दिनांक......................
स्थान.......................

टेन्डर कर्ता का नाम/हस्ताक्षर

फर्म का नाम/पता.......................

प्रपत्र–अ–2

//घोषणा–पत्र//

(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

1. मैं/हम/फर्म का नाम...भारत का/के नागरिक हूँ/है। (आगामी बिन्दुओं में मैं/हम अधोहस्ताक्षकर्ता निविदाकर्ता के लिये प्रयुक्त होगा)

2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/है।

3. मुझे/हमें मासिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यो के लिये मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग व्दारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।

4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र.शासन के किसी भी विभाग व्दारा बहिष्कृत किया गया हो, के ना तो अभिकर्ता हूं/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।

5. मेरे/हमारे व्दारा प्रदत्त वाहन एवं वाहन चालकों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो भी नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

6. मेरे/हमारे व्दारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नही की गई है।

7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतःपालन करुँगा/करेंगें।

दिनांक.....................
स्थान.......................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–...................................
पूरा पताः–...........................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–3

//सुरक्षा निधि//

(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

निविदा की प्रतिभूति **(Earnestmoney deposit)**–राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में रखने हेतु।

कार्यालय का नाम–:संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल हेतु मासिक पर वाहन उपलब्ध कराना।

ठेका हेतु जमा अर्नेस्टमनी **(Earnestmoney)** से संबंधि एस.बी.आई./राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर. का विवरणः–

कमांक	एफ.डी.आर. नम्बर एवं दिनांक	एस.बी.आई./ राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	बैधता अवधि दिनांक से दिनांक तक	रिर्माक

निविदा कमांक.......................दिनांक..

दिनांक......................
स्थान........................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–..................................
पूरा पताः–..........................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–4

//निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र//
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

मै...पुत्र..
वास्ते फर्म...आपके कार्यालय व्दारा विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता/चाहती हूँ। मेरे व्दारा निविदा की शर्तो हेतु निर्धारित पत्र क................/प्रा.वा./2019–20 ....भोपाल दिनांक.......................
....में निविदा की शर्तो के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क.01 से 07 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उप कंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो निर्धारित शर्तो के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूँ।

दिनांक..................... (निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान.......................

नामः–..................................
पूरा पताः–...........................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–5

//निविदाकार व्दारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी//
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

निविदाकार का नामः–

कमांक	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1	अर्नेस्ट मनी संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद,बैकर्स चैक जो भोपाल शहर में स्थित शाखा पर देय हो संलग्न करें।	
2	ट्रेवल्स एजेंसी/वाहन को आर.टी.ओ.में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
3	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन.नं.) की प्रति एवं तीन वर्ष से भरी जाने वाली इंकम टेक्स की प्रतियां।	
4	जी.एस.टी प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की प्रति।	
5	नगर निगम व्दारा जारी गुमाश्ता लायसेंस की प्रति	
6	वाहन चालक के पी.एफ. कटौत्रें की छाया प्रति।	
7	ट्रेवल्स ऐजेंसी के पास उपलब्ध 10 वाहनों के नम्बर रजीस्ट्रेशन	

नोटः- जो भी दस्तावेज लगाये उसका गोसवारा बनाकर दस्तावेज का नाम पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत किया जाना हैं।

दिनांक......................
स्थान........................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–..................................
पूरा पताः–............................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–6
//अनुबंध का प्रारुप//

संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल के कार्यालय हेतु वाहन संख्या वाहन मासिक (पूर्णकालिक) टेक्सी कोटे पर उपलब्ध कराने हेतु संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल जो इस अनुबंध के प्रथम पक्ष होंगें तथा. ....जो इस अनुबंध में द्वितीय पक्ष होंगें के मध्य आज दिनांक........................को अंनुबंध सम्पादित किया जा रहा है। निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त शर्ते इस अनुबंध का भाग होगी। यह अनुबंध मासिक (पूर्णकालिक) दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त निविदा संबंधि कार्यवाही दिनांक.................में स्वीकृत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता..के मध्य हैं।

अनुबंध के नियम एवं शर्ते:–

1. निविदा की शर्तो के अंतर्गत भाग–1 एवं भाग–2 में वर्णित कंडिका क.1 से 7 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अनुबंधकर्ता एजेन्सी को पालन करना अनिवार्य होगा।
2. मासिक (पूर्णकालिक) दर पर वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की जान–माल की सुरक्षा संबंधित ऐजेंसी की रहेगी।
3. टेण्डर स्वीकृत आदेश से एक वर्ष के लिए यह व्यवस्था होगी,यदि फर्म मासिक (पूर्णकालिक) वाहन उपलब्ध कराने मे असफल होती है या समय पूर्व ठेका छोड़ देते है तो ऐसी स्थिति में उनके व्दारा जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जप्त कर लिया जावेगा एवं ठेका निरस्त कर निविदा प्रकिया में द्वितीय न्यूनतम दर वाली निविदादाता को दिया जावेगा।

4. मासिक (पूर्णकालिक) दर पर वाहनों की संख्या कम अथवा अधिक करने का अधिकार संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल के पास सुरक्षित होगा।
5. वाहन चालन कार्य में तैनात कर्मचारी कानूनी तौर पर अच्छें चरित्र वाले होने चाहिए इसकी जिम्मेदारी फर्म की होगी एवं चालको को स्वच्छ वर्दी पहनना अनिवार्य होगी इसके लिए कार्यालय व्दारा कोई भी राशि पृथक से देय नही होगी।
6. फर्म को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन चालकों के नाम पता एवं पासपोर्ट साइज के फोटो एवं वैध ड्रायविंग लायसेन्स की छाया प्रति इत्यादि की जानकारी कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगी।
7. कार्य स्थल पर ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी शराब अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नही करेगें तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सोम्य एवं नम्रता पूर्वक होना चाहिए शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जो आर्थिक शास्ति संबंधित वाहन चालक एवं वाहन को हटाने विषयक हो सकेगी ऐसी स्थिति मे दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

8. संबंधित फर्म/वाहन क. को आर.टी.ओ.में टेक्सी कोटे मे पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।

9. यह निविदा एक वर्ष के अनुबंध के लिये मान्य की जावेगी एवं कार्य संतोषजनक होने पर दोनो पक्षों की सहमति से संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल व्दारा (अधिकतम दो वर्ष) निविदा को समस्त शर्तो अनुसार बढ़ाई जा सकती हैं।

10. अनुबंधकर्ता व्दारा माह की समाप्ति के उपरान्त आगामी माह की 05 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय व्दारा परीक्षण उपरान्त इन देयको का भुगतान टी.डी.एस. काट कर अनुबंधकर्ता के बैंक खाते में किया जायेगा।

10.1 यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन सहित उपस्थित नही होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है,जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी व्दारा की जाती है तो उस मॉह के देयक से अनुपातिक रूप से प्रति दिवस की दण्डात्मक कटौती की जावेगी।

10.2 कार्यालय मे मासिक दर पर लगाये गये वाहन के निरीक्षण/आकलन के दौरान वाहन ठीक हालत मे न पाये जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि कटौत्रे के रुप मे काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिकवार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11. यदि किसी निविदाकर्ता के साथ विवाद उत्पन्न होता है तो शर्तो के अनुसार मान्य योग्य नही हो तो संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति मे निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण मे न्यायालयीन परिस्थितियॉ उद्भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय मे ही चल सकेगा।

13. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती की जावेगी।

14. निविदाकर्ता व्दारा निविदा में घोषित राशि में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी टेक्स सम्मलित होगें साथ ही निविदा कार्य के संपादन करने वाले सभी कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर,लेबर,रजिस्ट्रेशन शुल्क भविष्य निधि (पी.एफ.),जी.एस.टी. एवं अन्य टेक्सेज इत्यादि सम्मिलित होगें। इसका कोई भी भुगतान अलग से कार्यालय व्दारा देय नहीं होगा।

15 वाहन किराया भुगतान के पश्चात जी.एस.टी कटौत्रा की रसीद इस कार्यालय को देना होगा ताकि वाहन का मासिक भुगतान किया जायेगा ।

16. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता फर्म/संस्था व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित प्रारुप के अंग होगे।

17. अनुबंध अवधि में वाहन के किराये मे कोई परिवर्तन नही होगा और कोई अन्य शर्त मान्य नही होगी यदि उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आफर मे अन्य शर्त दी जाती है तो निविदा विभाग को मान्य नहीं होगी।

प्रथम पक्षकार	**द्वितीय पक्षकार**
गवाहः-	गवाहः-
1.	1.
2.	2.

प्रपत्र–ब

//वित्तीय प्रस्ताव प्राइज बिड//

(लिफाफा बी में रखा जाए)

कार्यालय का नामः–संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल हेतु मासिक (पूर्णकालिक) दर पर वाहन उपलब्ध करानें के संबंध में।

निविदा कमांक........................ दिनांक..........................

निविदा प्रपत्र अनुसार वाहन संबंधी जानकारी एवं वाहन के लिये मासिक दरें (सभी कर सहित)

क.	वाहन प्रकार	पूर्णकालीक प्रतिमाह 1000 किमी.	1000 कि.मी.के अतिरिक्त चलने के उपरान्त पर किमी.की दर से किराया	रिमार्क
1	टाटा जेस्ट			
2	स्विफट डिजायर			
3	सीआज			
4	स्कार्पियों			

दिनांक.....................

स्थान.......................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नामः–.................................

ट्रेवल्स एजेंसी का नाम एवं पूरा पताः–...........................
....

फोन एवं मो.नं.